रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257055
CG-DL-E-10092024-257055

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946
No. 518] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 560(अ)—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 की उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (यघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में,-

   (i) उपनियम (1) में, "4,50,000/- रुपए", अंकों और शब्दों के स्थान पर "5,62,500/- रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

   (ii) उपनियम (2) में,

   "4,00,000/- रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "5,00,000/- रुपये" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

परन्तु यह कि अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य 1 जनवरी 2024 से इस उपनियम और उपनियम (1) के अधीन वेतन के हकदार होंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 12 के उपनियम (4) में, "4,50,000/- रुपए और 4,00,000/- रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, क्रमश: "5,62,500/- रुपए और 5,00,000/- रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

4. उक्त नियमों के नियम 13 के उपनियम (3) में, "4,50,000/- रुपए और 4,00,000/- रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, क्रमश: "5,62,500/- रुपए और 5,00,000/- रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 30/4/2024-इंसोल्वेंसी-एमसीए]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन—यह घोषणा की जाती है कि अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव से जारी करने से किसी भी व्यक्ति के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप- खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 831(अ) तारीख 29 अगस्त, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 31(अ), तारीख 9 जनवरी, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2024.

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section (2) of section 239 read with sub-section (5) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, —

(i) In sub-rule (1), for the words and figures "Rs.4,50,000/-", the words and figures "Rs.5,62,500/-" shall be substituted;

(ii) In sub-rule (2),

(a) for the words and figures "Rs.4,00,000/-", the words and figures "Rs.5,00,000/-" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided that the Chairperson and whole-time member shall be entitled to a salary under this sub-rule and sub-rule (1) from the 1st day of January, 2024.

3. In rule 12 of the said rules, in sub-rule (4), for the words and figures "Rs.4,50,000/- and Rs.4,00,000/-", the words and figures "Rs.5,62,500/- and Rs.5,00,000/-" shall respectively be substituted.

4. In rule 13 of the said rules, in sub-rule (3), for the words and figures "Rs.4,50,000/- and Rs.4,00,000/-", the words and figures "Rs.5,62,500/- and Rs.5,00,000/-" shall respectively be substituted.

[F. No. 30/4/2024-Insolvency-MCA]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum.—It is hereby declared that by issuing the notification with retrospective effect, the interest of no person shall be adversely affected.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 831(E) dated 29th August, 2016 and last amended vide number G.S.R. 31(E), dated the 9th January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.